INDIAN NATIONAL CONGRESS

शेत मसीह (आनंद)
सांसद प्रतिनिधि (पर्यावरण विभाग),कोरबा लोकसभा
आर. टी. आई. कार्यकर्ता

निवास - 108 , टावर मोहल्ला , दीपका
जिला कोरबा (छ. ग.) , 495452
मो. -9584435222, ईमेल- Anandm.shet@gmail.com

Ref. No. - DGMS/02/0912 Date- 09.12.2025

प्रति ,

श्रीमान महानिदेशक महोदय ,

खान सुरक्षा महानिदेशालय ,

श्रम और रोजगार मंत्रालय , भारत सरकार ।
ई-मेल – dg@dgms.gov.in , ddg.hq@dgms.gov.in

विषय - कोल् इंडिया की सहायक कंपनी एसईसीएल द्वारा कोरबा जिला (छत्तीसगढ़) में संचालित गेवरा विवृत्त खान में लगातार हो रही दुर्घटनाओं के विषय में विस्तृत जांच एवं उचित कार्यवाही के सम्बन्ध में शिकायत।

महोदय ,

विषयानुसार सादर निवेदन है की चालू वर्ष 2025 में गेवरा विवृत खान के माइनिंग लीज क्षेत्र और लीज-होल्ड क्षेत्र में अब तक पांच ऐसी दुर्घटनायें हो चुकी है जिसमे व्यक्ति को जान माल का नुकसान उठाना पडा है जिनका विवरण निम्नानुसार है -

1. दिनांक 27 मई 2025 मिटटी धंसने से 2 मौतें , मृतकों का नाम विश्वास यादव (18 वर्ष) एवं धन सिंह कँवर (24 वर्ष)
2. दिनांक 19 मई 2025 बिजली का झटका लगने से एक मौत , मृतक का नाम हीरालाल (35 वर्ष)
3. दिनांक 23 मई 2005 ड्रिल मशीन को रिवर्स करते समय ,मृतक का नाम राजन राणा (25 वर्ष)
4. दिनांक 09 अक्टूबर 2025 ट्रेलर पलटने से मौत , मृतक का नाम सानुप तिग्गा (30 वर्ष)
5. दिनांक 26 अक्टूबर 2025 लोडर मालगाड़ी भिडंत , मृतक का नाम जमुना विश्वकर्मा (उम्र नामालूम)

हालांकि उक्त मामलों में आपके कार्यालय द्वारा या तो जाँच पूरी कर ली गई है अथवा प्रक्रियाधीन है ऐसे में इस खुली खदान में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय खदान प्रबंधन एवं राज्य की एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सुचना /जानकारी से इत्तर एक समानांतर जांच की आवशयकता है जिससे भविष्य में इन दुर्घटनाओं को होने से टाला जा सके एवं साथ ही साथ जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी

सुनिशिचित की जाए और दुर्घटना में पीड़ित मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा प्रदान किया जा सके ।

ऐसे में आपसे निवेदन है की निम्नलिखित बिन्दुओं को अपने संज्ञान में लेते हुए उचित कार्यवाही / जांच करवाने की कृपा करें -

1. <u>दुर्घटनाओं का कारण क्रमांक 1 - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन</u>

   छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा गेवरा विवृत्त खदान को दिए गए नवीनतम परिचालन सहमती पत्र क्र। 11437/TS/CECB/2025 दिनांक 04। 03। 2025 में स्पष्ट निर्देश है की कोयले का परिवहन तारपोलिन से ढंके हुए टिप्परों के माध्यम से ही किया जाएगा परन्तु खदान प्रबंधन खुले टिप्परों से कोयला परिवहन कर रही है एवं इसी पत्र के निर्देशानुसार 15 नग कैनन फौग ट्राली की उपलब्धता भी खदान परिसर में आशंका के दायरे में है । खदान प्रबंधन के इस लापरवाही से खदान के माइनिंग लीज क्षेत्र और लीज-होल्ड क्षेत्र में वायु प्रदुषण भयंकर स्तर पर पहुच चुका है एवं जिसका रियल टाइम डाटा उपलब्ध न होने एवं AAQMS के आसपास के पेड़-पौधों , ऊँचे भवनों से ढँक देने के कारण वायु प्रदुषण की सतत निगरानी में फर्जीवाड़ा कर न सिर्फ खेत्र में प्रदुषणजनित दुर्घटनाओं , बीमारियों का कारण बन रहे है साथ ही साथ पूरे पर्यावरण स्वीकृति की संरचना को ही चुनौती दे रहे हैं ।

2. <u>दुर्घटनाओं का कारण क्रमांक 2 : संवेदनशील पदों पर वर्षों से पदस्थ अधिकारी और कंपनी की आतंरिक पदस्थापना नीतियों का उल्लंघन</u> ।

   गेवरा विवृत्त खदान में यह बात देखने में आई है की डिस्पैच इंचार्ज , लोडिंग इंस्पेक्टर , टेक्निकल इंस्पेक्टर आदि जैसे संवेदनशील पदों (sensitive posts) पर पदेन कई अधिकारियों का कई वर्षों से स्थानान्तरण नहीं हुआ है जो की कंपनी की पदस्थापना नीतियों का सीधा उल्लंघन है । ऐसे में वर्षों से जमे यह अधिकारी भ्रष्टाचार का कारण बनते हैं जिससे खदान क्षेत्र में अनुशासनहीनता एवं अव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं । ऐसे में यह बात भी सामने आई है की कई अधिकारी प्रबंधन की मिलीभगत से आर्डर शीट या दस्तावेजों में तो पदांतरण करवा लेते हैं परन्तु उनका मूल कार्य वही रहता है जिसका उदाहरण इस बात में

   देखने को मिलता है की गेवरा क्षेत्र में पदस्थ डिस्पैच अधिकारी श्री एन खुर्शीद विगत 10-11 वर्षों से डिस्पैच इंचार्ज का ही कार्य कर रहे हैं हालांकि दस्तावेजों में उनका दायित्व रोड सेल इंचार्ज , रेक लोडिंग इंचार्ज , डिस्पैच इंचार्ज आदि होता रहा है जिसके इत्तर वे लगातार डिस्पैच इंचार्ज का कारभार संभालते रहे हैं । इस प्रकार के और भी अधिकारी गेवरा क्षेत्र में मौजूद हैं जो संवेदनशील पदों पर रहने के बावजूद तीन वर्षों से अधिक समय से काबिज हैं । मानव् संसाधन, वैयक्तिक विभाग मुख्यालय के अधिकारियों की मिली भगत के बगैर इस प्रकार का कार्य संभव नहीं है ।

3. <u>दुर्घटनाओं का कारण क्रमांक 3 : खदान क्षेत्र परिसर में अनाधिकृत/अप्रशिक्षित व्यक्तियों का भारी संख्या में प्रवेश</u>

दुर्घटनाओं का दुसरा प्रमुख कारण खदान क्षेत्र परिसर में अनाधिकृत/अप्रशिक्षित व्यक्तियों का प्रवेश है । रोड सेल की मालवाहक टिप्परों को लोड करवाने , कोयला गिरवाने , बिल्टी टोकन काटने , काँटा घर में सहायता प्रदान करने आदि के नाम पर भारी संख्या में अप्रशिक्षित/गैर-वीटीसी प्राप्त युवकों को खदान परिसर में प्रवेश करने दिया जा रहा है । रोड सेल एवं सुरक्षा विभाग के सक्षम अधिकारियों से मिलीभगत कर ऐसे अप्रशिक्षित व्यक्तियों को पास जारी कर खदान में प्रवेश करने दिया जाता है जिससे दिन रात ऐसे सैकड़ों व्यक्ति खदान के अन्दर संचालित होने वाली गतिविधियों में न सिर्फ शामिल होते हैं परन्तु उसे प्रभावित भी करते हैं । कोयला उत्खनन एवं परिवहन में संलग्न भारी मशीनों के आस पास ऐसे अप्रशिक्षित युवको की उपस्थिति न सिर्फ उनके स्वयं के लिए अपितु प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिए भी दुर्घटना की आशंका बनाए रखती हैं।

4. <u>दुर्घटनाओं का कारण क्रमांक 4 : खदान क्षेत्र परिसर में लाइट मोटर व्हिकल एवं भारी वाहनों के लिए पृथक मार्ग / मार्ग के मरम्मत की अनुपलब्धता</u>

भारी मालवाहक वाहनों एवं दुपहिया वाहनों का परस्पर एक ही मार्ग में चलना गेवरा खदान क्षेत्र में दुर्घटना को अंजाम देने का एक और प्रमुख कारण है । खदान परिसर में निम्लिखित कारणों से अक्सर दुर्घटना घटित होने की आशंका लगातार बनी रहती है -

- दुपहिया एवं भारी मालवाहक वाहनों के लिए पृथक मार्गों की अनुपलब्धता अथवा कमी
- जहां पृथक मार्ग उपलब्ध हैं यातायात दिशानिर्देश के लिए सुरक्षाकर्मियों / विभागीय कर्मचारियों की अनुपलब्धता
- क्रासिंग एवं चौराहों पर अंडर पास , ओवर-ब्रिज की अनुपलब्धता
- एल एम् व्ही रोड के नियमित मरम्मत की अनुपलब्धता

5. <u>दुर्घटनाओं का कारण क्रमांक 5 : क्षमता से अधिक मालवाहक वाहनों का प्रवेश / टोकन आबंटन में अव्यवस्था</u>

रोड सेल इंचार्ज टेक्निकल इंस्पेक्टर , लोडिंग इंस्पेक्टर ,एवं अन्य अधिकारियों की मदद से खदान में क्षमता से अधिक मालवाहक टिप्परों को एक समय में खदान के अन्दर प्रवेश दिया जा रहा है जिसके मूल में भ्रष्टाचार एवं लापरवाही है । खदान परिसर में मालवाहक टिप्परों को खडा करने के लिए यार्ड की व्यवस्था अत्यंत लचर है गेवरा खदान में दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण खदान की निर्धारित क्षमता से अधिक मालवाहक वाहनों का अनियंत्रित प्रवेश तथा टोकन आवंटन प्रणाली में व्याप्त अव्यवस्था है, जो तकनीकी रूप से खनन सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करता है। अधिकारियों द्वारा वाहनों की संख्या पर प्रभावी नियंत्रण न रखना तथा टोकन सिस्टम की निगरानी में लापरवाही बरतना, दुर्घटनाओं को बढ़ावा देता है, क्योंकि इससे यातायात अवरोध, ओवरलोडिंग तथा टक्कर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं । खान सुरक्षा नियमावली के अनुसार, वाहनों का प्रवेश खदान की उत्पादन

क्षमता एवं सड़क बुनियादी ढांचे के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन यहां तकनीकी मूल्यांकन की अनदेखी की जा रही है, जिससे श्रमिकों एवं वाहन चालकों की जान जोखिम में पड़ रही है। अधिकारियों की यह लापरवाही न केवल प्रशासनिक विफलता दर्शाती है, बल्कि खनन क्षेत्र में निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल की अवहेलना भी है, जो बार बार होने वाली दुर्घटनाओं का मूल स्रोत बन-चुकी है।

मांग -

1. <u>उच्च-स्तरीय स्वतंत्र सुरक्षा जांच दल का गठन</u>:

   खान अधिनियम, 1952 की धारा 5, 6, 7 एवं 8 एवं कोयला खान विनियम, 2017 के विनियम 179 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए गेवरा ओपेनकास्ट खदान में तत्काल प्रभाव से एक उच्च-स्तरीय स्वतंत्र सुरक्षा जांच दल (High-Level Independent Safety Audit Team) गठित किया जाए, जिसमें DGMS के वरिष्ठ अधिकारी, IIT/NIT के माइनिंग विशेषज्ञ तथा स्वतंत्र सुरक्षा सलाहकार शामिल हों । यह दल निर्धारित समय सीमा में अपनी रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करे।

2. <u>क्षमता निर्धारण एवं टोकन प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण</u>:

   खदान की निर्धारित दैनिक/पालीवार कोयला डिस्पैच क्षमता (पर आधारित अधिकतम टिपर प्रवेश संख्या (Maximum Permissible Tippers per Shift) को पुनः निर्धारित कर उसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए तथा टोकन प्रणाली को पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत एवं CCTV निगरानी से जोड़ा जाए; क्षमता से अधिक किसी भी टिपर के प्रवेश पर तत्काल आर्थिक जुर्माना एवं संबंधित अधिकारी का निलंबन अनिवार्य किया जाए।

3. <u>संवेदनशील पदों पर अधिकारी स्थानांतरण</u>:

   संवेदनशील पदों (डिस्पैच इंचार्ज, लोडिंग इंस्पेक्टर, टेक्निकल इंस्पेक्टर, सुरक्षा अधिकारी आदि) पर 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का तत्काल स्थानांतरण किया जाए तथा भविष्य में ऐसे पदों पर अधिकतम 3 वर्ष की अवधि निर्धारित करते हुए रोटेशन नीति को कड़ाई से लागू किया जाए।

4. <u>परिचालन सहमति की शर्तों का सत्यापन:</u>

   खान अधिनियम, 1952 की धारा 22A में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की परिचालन सहमति (Consent to Operate) की शर्तों, के अनुपालन के लिए विशेष पर्यावरणीय निगरानी दल का गठन किया जाए विशेषकर तारपोलिन अनिवार्यता, धूल दमन

उपकरणों/सेवाओं की उपलब्धता, सडको के मरम्मत , का 15 दिनों के अंदर स्वतंत्र सत्यापन कराया जाए। उल्लंघन पाए जाने पर खदान का परिचालन तत्काल निलंबित करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) वसूली जाए तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए।

5. <u>मृतकों के परिजनों को मुआवजा एवं नौकरी:</u>

   खान अधिनियम, 1952 की धारा 23 में निहित शक्तियों का उपयोग कर वर्ष 2025 में गेवरा खदान में मृत सभी 5 श्रमिकों/व्यक्तियों के परिजनों को भारत सरकार/कोल इंडिया की मौजूदा नीति से इतर विशेष अनुग्रह राशि के रूप में ₹50-50 लाख रुपये का मुआवजा 30 दिनों के अंदर प्रदान किया जाए तथा मृतकों के आश्रितों में से एक-एक व्यक्ति को एसईसीएल में स्थायी नौकरी दी जाए।

महोदय से अनुरोध है की पूरे प्रकरण को अपने संज्ञान में लेते हुए आवश्यक निष्पक्ष जांच , आवश्यक निर्देश देने एवं आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि गेवरा खदान विवृत्त में कर्मचारियों के कार्य करने के लिए एक सुरक्षित , स्वस्थ एवं दुर्घटनारहित वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके । किये गए कार्यवाही एवं इस सम्बन्ध की समस्त जांच रिपोर्ट , आदेश-पत्र एवं पत्राचार आदि की प्रतिलिपि मुझे भी ईमेल अथवा निचे लिखे पते पर पत्राचार के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कष्ट करेंगे । धन्यवाद ।

प्रतिलिपि -

1. आदरणीय ज्योत्स्ना चरणदास महंत जी , माननीय सांसद कोरबा लोकसभा को सादर सूचनार्थ ईमेल द्वारा ।

09/12/2025

शिकायतकर्ता
शेत मसीह ,
सांसद प्रतिनिधि , कोरबा लोकसभा
दीपका , जिला कोरबा (छ.ग.)
पिन - 495452
Email – Anandm.shet@gmail.com